प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों हेतु पैडागॉजी प्रशिक्षण

प्रशिक्षण अवधि :– 01 माह

उत्तराखण्ड पुलिस

पाठ्यक्रम
सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों हेतु पैडागॉजी प्रशिक्षण
अवधि 01 माह

क्र0सं0	प्रशिक्षण विवरण	अन्तः कक्ष अवधि	वाह्य कक्ष अवधि
1	प्रशिक्षण अवधि	01 माह	01 माह
2	कुल प्रशिक्षण दिवस	30 दिवस	30 दिवस
3	समयावधि में अवकाश के दिवस	08 दिवस	08 दिवस
4	**प्रशिक्षण हेतु कुल दिवस**	**30–8=22 दिवस**	**30–8=22 दिवस**
5	प्रतिदिन कालांश की संख्या	06 कालांश	02 कालांश
6	प्रति कालांश की समयावधि	40 मिनट	40 मिनट
	प्रशिक्षण हेतु कालांश	**06x22=132 कालांश**	**02x22=44 कालांश**

बाह्य कक्ष के सम्पूर्ण कालांशों को विवरण :–

क्र0सं0	विषय	कालांश
1	योगाभ्यास (प्रातः काल)	22
2	खेल (सायंकाल)	22
	योग	**44**

अन्तः कक्ष विषयों के सम्पूर्ण कालांशों एवं अंकों का विवरण

क्र0सं0	बाह्य विषय	कालांश	अंक
1	प्रथम समूह– प्रशिक्षण पद्वति सैद्वान्तिक एवं प्रयोगात्मक	40	**25**
2	द्वितीय समूह– भा0द0वि0/द0प्र0सं0/भा0 साक्ष्य अधिनियम तथा विविध अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं का आरक्षी द्वारा किये जाने वाले कार्य के दृष्टिकोण से ज्ञान तथा महत्वपूर्ण केस लॉ।	20	**25**
3	तृतीय समूह– आरक्षी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्य महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान	37	**25**
4	चतुर्थ समूह– कम्प्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल कम्प्यूनीकेशन तथा इलैक्ट्रॉनिक सर्वेलांस	35	**25**
	योग –	**132**	**100**

परीक्षा संक्षेप

1. अन्तः कक्ष विषयों की अन्तिम परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इस परीक्षा में सभी समूहों का सयुक्त प्रश्नपत्र होगा जिसमें सभी समूहों के 25–25 कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगें।
2. उत्तीर्ण होने हेतु अन्तः कक्ष विषयों के प्रत्येक समूह में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगें।

नोट :– वस्तुनिष्ठ परीक्षा सभी प्रशिक्षुओं को खुले मैदान में दूर–दूर बिठाकर ली जानी चाहिये ताकि नकल न हो पाये।

पाठ्यक्रम आंतरिक विषय

प्रथम समूह–प्रशिक्षण पद्वति सैद्वान्तिक एवं प्रयोगात्मक

कालांश :– 40 **पूर्णांकः– 25**

1. प्रशिक्षण का उद्देश्य एवं प्रशिक्षण के प्रति प्रेरणा।
2. प्रशिक्षुओं के प्रकार एवं किये जाने वाला व्यवहार
3. प्रशिक्षक की विशेषतायें
4. अधिगम (सीखने) का अर्थ–परिभाषा।
5. अधिगम सीखने की विशेषतायें
6. अधिगम सीखने के नियम
7. अधिगम सीखना एवं प्रेरणा
8. व्याख्यान देने के के विभिन्न प्रकार व उपयोगिता।
9. व्याख्यान को रूचिकर/उपयोगी कैसे बनाया जाय।
10. पाठ्य योजना तथा कक्षा योजना
11. कक्षा को पढाने का सिद्वांत, पढाने से पूर्व तैयारी, शिक्षण सूत्र
12. पढाते समय मुख्य बातों का वर्णन संभावनाएं व अध्ययन
13. सारांश एवं अभ्यास
14. लिखित कार्य और उसका सुझााव
15. व्याख्यान की आर्दश प्रस्तुती
16. शिक्षक की आवास और भाषा
17. शिक्षक का पहनावा व कक्षा में प्रवेश के नियम
18. पठन सामग्री का प्रयोग
19. प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष प्रशिक्षकों की प्रस्तुति का प्रभाव।
20. प्रशिक्षण पद्वतियों का प्रस्तुतीकरण
21. व्याख्यान का मूल्यांकन कैसे किया जाय।

चार्ट /ट्रान्सपेरेंसी/लेसन प्लान तैयार करने का व्यवहारिक ज्ञान –

आरक्षियों को पढाये जाने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों का चार्ट, ट्रान्स्पेरेंसी एवं लेसन प्लान तैयार कराने का व्यवहारिक ज्ञान।

द्वितीय समूह–भा0द0वि0 / द0प्र0सं0 / भा0 साक्ष्य तथा विविध अधिनियम की महत्वपूर्ण धाराओं का आरक्षी द्वारा किये जाने वाले कार्य के दृष्टिकोण से ज्ञान।

कालांश :– 20 **पूर्णांकः– 25**

भारतीय दण्ड संहिता– 1860

1. साधारण अपवाद धारा 76 से 106 भा0द0वि0
2. लोक स्वास्थ्य एवं खाघ पदार्थो में मिलावट से सम्बन्धित अपराध धारा 272 से 276
3. हत्या धारा 302 भा0द0वि0
4. मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नही आता धारा 304 भा0द0वि0
5. लापरवाही द्वारा मृत्यु कारित करना धारा 304ए
6. दहेज मृत्यु धारा 304बी भा0द0वि0
7. बलात्कार धारा 376 भा0द0वि0
8. डकैती धारा 395 भा0द0वि0
9. लूट धारा 392 भा0द0वि0
10. गृहभेदन (चोरी के लिये) धारा 454 व 457 भा0द0वि0
11. चोरी धारा 379 / 380 भा0द0वि0
12. व्यपहरण धारा 363 भा0द0वि0
13. अपहरण धारा 366 भा0द0वि0
14. सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य और गाने धारा 294 भा0द0वि0
15. महिला की लज्जा भंग के लिये आपराधिक बल का प्रयोग धारा 354 भा0द0वि0
16. धारदार हथियार से चोट पहुॅचाना धारा 324 भा0द0वि0
17. गंभीर चोट पहुंचाना धारा 325 / 326 भा0द0वि0
18. बलवा धारा 147, 323 भा0द0वि0
19. आपराधिक न्यास भंग धारा 406 भा0द0वि0
20. छल धारा 420 भा0द0वि0
21. कुटरचना धारा 465 भा0द0वि0
22. रोड एक्सीडेन्ट धारा 279, 337 भा0द0वि0
23. करेंसी नोट और बैंक नोट से सबंधित अपराध धारा 489क से 489 ड भा0द0वि0
24. पति अथवा पति के सम्बन्धियों द्वारा कूरता के विषय में धारा 489 ए भा0द0वि0
25. आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं क्षोम संबंधी धारा 504, 506 भा0द0वि0

दण्ड प्रक्रिया संहिता (अध्यावधि संशोधनों सहित)

अध्याय 1 – परिभाषायें धारा 2 ए से 2 वाई
अध्याय 5– व्यक्तियों की गिरफ्तारी धारा 41, 42, 43, 46, 50क, 51, 54, 57
अध्याय 6– हाजिर होने को विवश करने के लिये आदेशिकायें धारा 61, 62, 64, 65, 70 से 76
अध्याय 8– परिशांति स्थापित करने के लिये, सदाचार के लिये प्रतिभूति धारा 106 से 110
अध्याय 10– लोक व्यवस्था एवं प्रशान्ति बनाये रखना धारा 129 से 133, 144 से 147, 151
अध्याय 12– पुलिस की सूचना और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति धारा 154, 155

भारतीय साक्ष्य अधिनियम

अध्याय 2क – तथ्यों की सुसंगति के विषय में धारा 6 से 11
अध्याय 2 ख – स्वीकृतियॉ धारा 24 से 30
अध्याय 2 छ – अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है धारा 45
अध्याय 7– सबूत के भार के विषय में 113 क, 113 ख
अध्याय 10 – साक्षियों के परीक्षण के विषय में धारा 137, 138

केन्द्रीय विविध अधिनियम

1. अवैध शस्त्र रखना धारा 25 शस्त्र अधिनियम
2. सार्वजनिक स्थान पर जुआ धारा 13 जुआ अधिनियम
3. मादक पदार्थो का रखना और बेचना धारा 18/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
4. अवैध शराब रखना धारा 60 आबकारी अधिनियम
5. गुण्डो का जनपद से निष्कासन धारा 3 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम
6. संगठित अपराधियों के विरूद्व कार्यवाही धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम
7. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत निरूद्व कराना धारा 3 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम
8. अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विरूद्व होने वाले अपराधों का निवारण धारा 3(1), 3(2) अनु0 जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम।

केस लॉ

1. **दिलीप कुमार बसु बनाम बंगाल राज्य 1997 एससीसी 642**
   जोगेन्द्र कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य 1994 सीआरएलजे 1981
   गिरफ्तारी के समय के अधिकारों को इस विधि व्यवस्था में परिभाषित करते हुये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये गये है।
2. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 सीआरएलजे 1099
   सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनाम आसाम राज्य 1995 एससीसी 743
   इन विधि व्यवस्थाओं में मा0सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया है कि हथकड़ी का प्रयोग किन परिस्थितियों में अनुमन्य है।
3. परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ (ए0आई0आर0 1989 मा0 सर्वोच्च न्यायालय पृष्ठ 2039)
   एक दुर्घटनाग्रस्त या घायल व्यक्ति का जीवन विधिक औपचारिकताओं की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अतः चिकित्सक को घायल व्यक्ति का उपचार तत्काल बिना इस बात की प्रतीक्षा किये किया जाना चाहिये कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) पंजीकृत हुई अथवा नही।

तृतीय समूह– आरक्षी के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्य महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान

कालांश :– 37 **पूर्णांकः– 25**

1. आरक्षी की बीट बुक का ज्ञान
2. पुलिस आरक्षी द्वारा अपने सेवाकाल में किये जाने वाले कार्यो का विवरण
3. आरक्षी को अपनी नव नियुक्ति पर क्या–क्या कार्य करने आवश्यक है।
4. अपराधिक सूचनाओं का एकत्रीकरण, उनके श्रोत एवं उपयोगिता।
5. अपराधियों की खोज के तरीकें उसमें आरक्षियों का योगदान (सुरागरसी का कार्य)
6. गश्त के प्रकार, गश्त के नियम एवं उनके लाभ
7. निगरानी का अर्थ, प्रकार, तरीके एवं उनके उदेश्य
8. कानून व्यवस्था का अर्थ, कानून व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व
9. भीड़ का अर्थ , प्रकार एवं भीड़ का मनोविज्ञान
10. भीड़ नियंत्रण के सिद्वांत एवं जबाबी रणनीति
11. छात्रों के आन्दोलन का नियंत्रण
12. श्रमिक वर्ग की समस्याऐं एवं पुलिस द्वारा प्रबन्ध
13. राजनैतिक आन्दोलन एवं पुलिस द्वारा प्रबन्ध
14. साम्प्रदायिक तनाव एवं दंगो में पुलिस द्वारा प्रबंध
15. मेलों का प्रबन्ध एवं अपराध पर नियंत्रण
16. त्योहारों का प्रबन्ध एवं अपराध पर नियंत्रण
17. अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा
18. थानों के अपराध संबंधी अभिलेखों का रख–रखाव एवं उसकी उपयोगिता।
19. घटनास्थल का निरीक्षण और आरक्षी का योगदान
20. अभियुक्तों से पूछताछ में बरती जाने वाली सावधानियॉ
21. नगर पुलिस की प्रमुख समस्याओं और उनके निराकरण में आरक्षी का योगदान
22. हिस्ट्रशीट के प्रकार और उनकी निगरानी के तरीके
23. उ0प्र0 राज्य कर्मचारी नियमावली 1956

<u>विधि विज्ञान एवं औषधि विज्ञान महत्वपूर्ण विषय :–</u>

1. परिभाषा, प्रकार, निरीक्षण के नियम एवं विधियॉ, घटनास्थल की सुरक्षा के लाभ।
2. घटनास्थल पर मलवा, रेशे, कपड़े, धूल, शीशा, पेन्ट, तार, जलावशेष, रक्त, अस्थि, मॉस के टुकड़े, लकडी धातु के टुकड़े आदि सुरिक्षत रखना एवं एकत्र करना तथा साक्ष्य में इनकी उपयोगिता।
3. विषों का वर्गीकरण तथा अपराधों में प्रयोग किये जाने वाले विष (मृत एवं जीवित व्यक्तियों के संबंध में) प्रकार एवं उनकी पहचान–मुख्यतः आर्सेनिक, सल्फास, धतूरा, कीटनाशक इत्यादि एवं उनका मेडिकोलीगल दृष्टि से ज्ञान तथा जहर खुरानी अपराधों में सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली दवाईयॉ यथा डायजीपाम इत्यादि।
4. चोटों का वर्गीकरण तथा चोटों के प्रकार एवं लक्षण तथा मृत्यु से पूर्व एवं मृत्यु के बाद आयी चोटों का ज्ञान।
5. मृत्यु का कारण– हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना, स्वाभाविक (प्राकृतिक) मृत्यु।
6. मृत्यु के प्रकार एवं लक्षण– दम घुटने से मृत्यु, डूब कर मृत्यु, गला घोटकर मृत्यु, श्वांसरोध (थ्राटलिंग) फॉसी लगाकर मृत्यु (हैगिंग)
7. मृत्यु के समय का निर्धारण करना तथा मृत व्यक्तियों की पहचान।

चतुर्थ समूह– कम्प्यूटर प्रशिक्षण, मोबाइल कम्यूनीकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस

कालांश :– 35 **पूर्णांकः– 25**

कम्प्यूटर प्रशिक्षण

1. कम्प्यूटर के प्रकार, गुण तथा कम्प्यूटर को बंद करने एवं खोलने का ज्ञान।
2. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सी0पी0यू0, आईकान को ड्रेग एवं ड्राप करना तथा कट/कॉपी/पेस्ट करना।
3. डेस्कटॉप की बैकग्राउण्ड बदलना, एसेसरीज में केल्कूलेटर, आन स्क्रीन की–बोर्ड, आईकान को खोलना, खोले गये आईकान विण्डो को क्लोज करना, री–स्टोर करना, मैक्सिमाईज करना, मिनीमाइज करना।
4. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम को खोलना, टाइप करना, डी–लीट करना व बैकस्पेस की का प्रयोग तथा फाइल को डेस्कटाप पर सेव करना।
5. टाइप किये हुये टैक्स्ट को सलेक्ट करना तथा फॉरमेटिंग टूलबार का ज्ञान तथा टेक्स्ट को कट/कॉपी /पेस्ट करना तथा अनडू तथा रीडू बटनों का प्रयोग।
6. एम0एस0 वर्ड में हिन्दी/अग्रेजी में टाइप करना तथा टाइप की हुई गलतियॉ की स्पेलिंग चैक विकल्प की सहायता से ठीक करना/फाइल को प्रिन्ट करना।
7. पावर प्वाइंट को स्टार्ट करना, स्लाइड जोड़ना, टाइप करना, स्लाइड का ले–आउट सेट करना।
8. स्लाइड को डिजाइन करना तथा स्लाइड शो को चलाना।
9. गूगल सर्च इंजन की जानकारी तथा उसके माध्यम से किसी भी जानकारी को सर्च करना।
10. उत्तरखण्ड पुलिस की वेबसाइट को एक्सेस करना, एन0सी0आर0बी0 की वेबसाइट को एक्सेस करना।
11. ऑन लाइन बैकिंग सम्बन्धी धोखाधड़ी से सम्बन्धित आवश्यक आवश्यक जानकारी का ज्ञान।
12. साइबर क्राइम एवं उसका ज्ञान।

टेलीफोन/मोबाइल कम्यूनीकेशन एवं इलेक्ट्रॉनिक सर्बेलांस

1. मोबाइल हैण्ड सेट के विभिन्न फंग्शनों का प्रयोग।
2. मोबाइल फोन सेवा की कार्यप्रणाली एवं प्रकार।
3. लैण्ड लाइन (बेसिक) एवं डब्लू0एल0एल0 टेलीफोन की कार्यप्रणाली।
4. प्रदेश में कार्यरत मोबाइल कंपनियों के नाम एवं मुख्यालय तथा फोन नंबर
5. इलैक्ट्रॉनिक सर्वेलांस– कानूनी प्राविधान तथा अनुमति।
6. इलैक्ट्रॉनिक सर्वेलांस– विधि एवं कार्यप्रणाली तथा उपयोगिता।
7. इलैक्ट्रॉनिक सर्वेलांस – विभिन्न उपयोगिी उपकरण।
8. इलैक्ट्रॉनिक सर्वेलांस– कॉल डाटा रिकार्ड प्राप्त करना एवं विश्लेषण करना तथा संदिग्धों/अपराधियों की स्थिति का पता लगाना।
9. फोन टेपिंग– मोबाइल पर संदिग्धों/अपराधियों को सूनना एवं उनकी उपस्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
10. विभिन्न अपराधों/घटनाओं के अनावरण में इलैक्ट्रॉनिक सर्वेलांस के प्रभावी प्रयोग का ज्ञान।